भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता

Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / राज0 / 04 / 6 / 2017 / एफ.सी. / 200

दिनॉकः 04.08.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/Trans/18689/2016

विषयः **Diversion of 6.35 ha. of forest land for 400 KV DC Quad Ajmer (New)- Ajmer (RVPN) Transmission Line in favour of Power Grid Corporation Ltd., Ajmer- reg.**

सन्दर्भ– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक– एफ14(RRVPN) / 2016 / एफसीए / प्रमुवसं / 2538, दिनांक–31.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण को दिनांक– 26.07.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 19वी बैठक में एजेण्डा नं0–19.7–राज0 पर विचार हेतु सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रस्ताव को सशर्त (संशोधित kml file उपलब्ध कराने के उपरान्त) स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बैठक में प्रस्ताव से संबंधित चाही गयी सूचना की अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 6.35 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 69 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 12.7 हे0 (6.35x2=12.7 ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राज्य सरकार के पास जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, अजमेर, राजस्थान।
5. उप प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, 703, आवासीय योजना, प्रगतिनगर, कोटड़ा, अजमेर–305004
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)